न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 107/2018

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र श्री अमीलाल जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. अमीलाल पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. हरदयाल
3. मानसिंह
4. राजेन्द्रसिंह
5. सुभाषचन्द्र

(2 से 5) पुत्रान अमीलाल जाति जाट निवासीगण भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

6. मायावती
7. धर्मादेवी
8. निर्मला

(6 से 8) पुत्रियान अमीलाल जाति जाट निवासीगण भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री प्रभुराम गोदारा : **वादी**

वकील श्री संदीप गोदारा

: प्रतिवादी सं0 1 ता 4, 6 ता 8

निर्णय **दिनांक :** 23.5.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 284/264 के खसरा सं0 394 की 0.468 है0 खसरा सं0 429 की 5.212 है0, खसरा सं0 429/756 की 2.049 है0 खसरा सं0 444 की 4.351 है0 खसरा सं0 604 की 0.076 है0 खसरा नं0 625 की 3.542 है0 खसरा सं0 626 की 0.367 है0, खसरा सं0 629 की 2.429 है0 कुल क्षेत्रफल 18.494 हे0 में से प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। रोही मौजा भाडी के खाता सं0 285/265 के खसरा सं0 49/740 की 4.744 है0 खसरा सं0 66 की 1.315 है0, खसरा सं0 86 की 6.072 है0 खसरा सं0 88/743 की 3.036 है0 खसरा सं0 89 की 4.605 है0 खसरा सं0 90 की 4.276 है0 खसरा सं0 336/2 की 0.569 है0, खसरा सं0 337 की 1.189 है0 खसरा सं0 338 की 0.240 है0 खसरा सं0 340 की 0.152 है0 खसरा सं0 341 की 0.886 है0, खसरा सं0 690 की 2.720 है0 खसरा सं0 693 की 4.351 है0 खसरा सं0 722/2 की 0.607 है0 कुल 34.762 है0 बारानी कृषिभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

प्रतिवादी अमीलाल वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 8 का पिता है एवं उपर वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी अमीलाल को अपने पिता लालचंद से विरासतन प्राप्त हुई है जो संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपाशर्नरी सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 8 का प्रतिवादी अमीलाल के साथ जन्म से हक हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 संयुक्त रूप से वाद कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण सं0 6 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की कृषिभूमि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग दी है। उक्त कृषिभूमि में प्रतिवादीया सं0 6 ता 8 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4, 6 ता 8 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 5 व 9 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रामकुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भाडी खाता सं0 284/264, 285/265 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2055 से 58 प्रदर्श 2 व 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2055 से 58 प्रदर्श 2 व 3 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा लालचन्द वल्द मूला के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषिभूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में अमीलाल के वारिसान में पत्नि गीरदावरी, पांच पुत्र हरदयाल, मानसिंह, राजेन्द्रसिंह, सुभाषचन्द न्योल, रामकुमार व तीन पुत्रियां धर्मादेवी, मायावती, निर्मला होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 284/264 के खसरा सं0 394 की 0.468 है0 खसरा सं0 429 की 5.212 है0, खसरा सं0 429/756 की 2.049 है0 खसरा सं0 444 की 4.351 है0 खसरा सं0 604 की 0.076 है0 खसरा नं0 625 की 3.542 है0 खसरा सं0 626 की 0.367 है0, खसरा सं0 629 की 2.429 है0 कुल क्षेत्रफल 18.494 हे0 में से प्रतिवादीसं0 1 अमीलाल के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है के बजाय वादी रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रत्येक का 8/90–8/90 हिस्सा व प्रतिवादी अमीलाल का 1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के खाता सं0 285/265 के खसरा सं0 49/740 की 4.744 है0 खसरा सं0 66 की 1.315 है0, खसरा सं0 86 की 6.072 है0 खसरा सं0 88/743 की 3.036 है0 खसरा सं0 89 की 4.605 है0 खसरा सं0 90 की 4.276 है0 खसरा सं0 336/2 की 0.569 है0, खसरा सं0 337 की 1.189 है0 खसरा सं0 338 की

0.240 है0 खसरा सं0 340 की 0.152 है0 खसरा सं0 341 की 0.886 है0, खसरा सं0 690 की 2.720 है0 खसरा सं0 693 की 4.351 है0 खसरा सं0 722/2 की 0.607 है0 कुल 34.762 है0 बारानी कृषिभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के बजाय वादी रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का 8/72 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी अमीलाल का 1/72 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 6 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.18........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

<u>पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 107/2018

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र श्री अमीलाल जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

<u>बनाम</u>

1. अमीलाल पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. हरदयाल
3. मानसिंह
4. राजेन्द्रसिंह
5. सुभाषचन्द्र

   पुत्रान अमीलाल जाति जाट निवासीगण भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

6. मायावती
7. धर्मादेवी
8. निर्मला

   पुत्रियान अमीलाल जाति जाट निवासीगण भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रभुराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4, 6 ता 8 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 284/264 के खसरा सं0 394 की 0.468 है0 खसरा सं0 429 की 5.212 है0, खसरा सं0 429/756 की 2.049 है0 खसरा सं0 444 की 4.351 है0 खसरा सं0 604 की 0.076 है0 खसरा नं0 625 की 3.542 है0 खसरा सं0 626 की 0.367 है0, खसरा सं0 629 की 2.429 है0 कुल क्षेत्रफल 18.494 हे0 में से प्रतिवादीसं0 1 अमीलाल के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है के बजाय वादी रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रत्येक का 8/90–8/90 हिस्सा व प्रतिवादी अमीलाल का 1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के खाता सं0 285/265 के खसरा सं0 49/740 की 4.744 है0 खसरा सं0 66 की 1.315 है0, खसरा सं0 86 की 6.072 है0 खसरा सं0 88/743 की 3.036 है0 खसरा सं0 89 की 4.605 है0 खसरा सं0 90 की 4.276 है0 खसरा सं0 336/2 की 0.569 है0, खसरा सं0 337 की 1.189 है0 खसरा सं0 338 की 0.240 है0 खसरा सं0 340 की 0.152 है0 खसरा सं0 341 की 0.886 है0, खसरा सं0 690 की 2.720 है0 खसरा सं0 693 की 4.351 है0 खसरा सं0 722/2 की 0.607 है0 कुल 34.762 है0 बारानी कृषिभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के नाम 1/8 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल के बजाय वादी रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का 8/72 हिस्सा

बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी अमीलाल का 1/72 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 6 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)
भादरा, जिला हनुमानगढ़